

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.1(1)(जी-18-॥)आ.कृ/ग्रुप-8/2571-73

दिनांक : 03/07/17


सूचना

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के पद पर चयनित 6 अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु भिजवायी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 15.07.2017 को प्रातः 10 बजे दस्तावेजों के मूल एवं उनके स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों के साथ कृषि आयुक्तालय के कमेटी कक्ष में उपस्थित होना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। निर्धारित स्थान, दिनांक, समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश जारी होने में विलम्ब के लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। निर्धारित दिनांक को मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं नियमानुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने तथा राज्य सरकार के पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगे।

दस्तावेजों की सूची :-

1. शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु अंकतालिका/प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु - सैकेण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित मान्य दस्तावेज।
3. **पूर्वाचरण** प्रमाण पत्र (Verification of antecedents Certificate) जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी हो।
4. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया हो किन्तु महिलाओं के संबंध में किसी भी राजकीय महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। (प्रारूप-द)
5. मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. **वर्ग सत्यापन हेतु** : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (टी.एस.पी.), अनुसूचित जनजाति (टी.एस.पी.), पिछड़ी जाति, विशेष पिछड़ी जाति, सहरिया आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।
7. विधवा कोटे में चयनित महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं किया गया है, इस आशय का स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
8. परित्यक्ता महिला कोटे में चयनित महिला को सक्षम न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रति।
9. निःशक्तजन कोटे में चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों के नियोजन नियम, 2011 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र, जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का हो।

10. पृथक-पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी दो नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र।
11. अविवाहित (पुरुष एवं महिला) की स्थिति में स्व-हस्ताक्षरित घोषणा।
12. विवाहित होने की स्थिति में, यदि विवाह दि० 22.05.2006 के बाद हुआ हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दि० 22.05.06 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
13. राज्य सरकार की विज्ञप्ति दि० 20.06.2001 के तहत संतान संबंधी घोषणा (प्रारूप-य)
14. आपराधिक/सजायाफ्ता नहीं होने/तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने इत्यादि से संबंधित स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (प्रारूप-र)
15. दहेज नहीं लेने/नहीं लिया संबंधी स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (प्रारूप-ल)
16. राजस्थान सेवा नियम पार्ट-II के परिशिष्ट 18-(ख) के अनुसार स्व-हस्ताक्षरित बंध-पत्र, जो लगभग पांच लाख पचास हजार से कम का नहीं हो (प्रारूप-व)
17. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित नाम/उपनाम तथा शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि के दस्तावेजों में अंकित नाम/उपनाम, जन्मतिथि आदि में यदि भिन्नता हो तो वांछित दस्तावेज।



 (विकास सीतारामजी भाले)
 आयुक्त, कृषि

क्रमांक- प.1(1)(जी.18II)आ.कृ/गुप-8/2571-73

दिनांक : 03/07/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव कृषि गुप-1 विभाग राज. जयपुर ।
2. ए.सी.पी. मु० जयपुर को भेजकर लेख है कि कृषि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।


 (उदयमान सिंह)
 उप निदेशक कृषि
 (प्रशासन)

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
(राजस्थान सेवा नियम 10)

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने
..... जो कि कृषि विभाग, राजस्थान सरकार में कृषि अनुसंधान अधिकारी
(कीट) के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्याशी है, शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा की है
तथा मुझे के अतिरिक्त ऐसी कोई बीमारी (जो
उल्लेखनीय अथवा अन्यथा प्रकार की हो) शारीरिक निर्बलता या दोष प्रतीत नहीं हुआ
है। मैं कृषि विभाग में उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझता।

हस्ताक्षर सक्षम चिकित्सा अधिकारी
मय सील

कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक प.7(1)डी.ओ.पी./क-2/95
दि० 20.6.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा

मैं-----पुत्र/पुत्री-----

— निवासी ----- एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चो (पुत्र/पुत्री) की संख्या ----- थी। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम	संबंध	जन्मतिथि
1			
2			
3			
4			
5			

दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चो की संख्या में वृद्धि हुई है/नहीं हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या ----- है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम	संबंध	जन्मतिथि
1			
2			
3			

जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम :

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री रोल नम्बर
 पंजीयन क्रमांक रैंक नं० कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) के पद के
 लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिप्रस्तावित हुआ/हुई हूं, सशपथ बयान करता हूं / करती हूं :-

1. कि मैं राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट) पद हेतु अपेक्षित अर्हता रखता /रखती हूं। इस क्रम में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वैध एवं सत्य है तथा संस्था, जिसका प्रमाण पत्र मैंने प्रस्तुत किया है, वह नियमानुसार है।
2. कि मेरे द्वारा शैक्षणिक योग्यता संबंधी दी गई जानकारी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।
3. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्णरूप से सही है एवं मिथ्या/जाली/नकली/ गलत तरीके से तैयार कराकर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. कि मेरे विरुद्ध कभी भी किसी भी थाना क्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण न तो दर्ज हुआ है और न ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक जांच लम्बित है। मेरे विरुद्ध कोई फौजदारी/न्यायिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में न तो दायर हुआ है और न ही लम्बित है।
5. कि मैं तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादो का सेवन नहीं करता हूं और न ही राजकीय सेवा के दौरान करूंगा।
6. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार से जाली/नकली पाया जाता है और तथा/अथवा मेरे द्वारा उक्त घोषणा पूर्ण अथवा आंशिक असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि मेरी अभ्यर्थिता/पात्रता/चयन तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर उसी समय मुझे राजकीय सेवा से पृथक कर दिया जायेगा, जिसके लिये मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/पुलिस/न्यायिक/अनुशासनात्मक इत्यादि की कार्यवाही कर सकते हैं, जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अन्य परीक्षाओं में शामिल होने से मुझे वंचित (Debar) किया जा सकता है, उसके लिये भी मैं ही स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

नाम :

पिता का नाम :

पत्र व्यवहार का पता :

.....

